भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (१) में प्रकाशित
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 7/2017- केंद्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, माल की पूर्ति पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के संबंध (३) में निरीक्षित है और टैरेफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय, यथास्थिति, उक्त सारणी के संबंध (२) में की तत्त्वानुसार प्रकाशित में यथा निरीक्षित हैं, के अधीन आने वाले, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 के अंतर्गत उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण केंद्रीय कर से छूट प्रदान करती है।

सारणी

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम सं.</th>
<th>टैरेफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय</th>
<th>माल की पूर्ति का विवरण</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(१)</td>
<td>(२)</td>
<td>(३)</td>
</tr>
<tr>
<td>1. कोई अध्याय</td>
<td>सीएसडी द्वारा यूनिट स्टेटन को माल की पूर्ति ।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. कोई अध्याय</td>
<td>सीएसडी द्वारा प्राधिकृत उपभोक्ताओं को माल की पूर्ति ।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. कोई अध्याय</td>
<td>यूनिट स्टेटन को प्राधिकृत उपभोक्ताओं को माल की पूर्ति ।</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

स्पष्टीकरण--

1. इस अधिसूचना में, ‘‘टैरेफ मद’’, ‘‘उपशीर्ष’’, ‘‘शीर्ष’’ और ‘‘अध्याय’’ से सीमाबद्ध टैरेफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथानिरीक्षित क्रमशः टैरेफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

2. उक्त सीमाबद्ध टैरेफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची, जिसके अर्थातः पहली अनुसूची के खंड और अध्याय तिपणन तथा साधारण स्पष्टीकरण टिपणन भी हैं, के निर्वंचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वंचन के लिए लागू होगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रकृति होगी ।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार